जनसंपर्क कार्यालय
जामिया मिल्लिया इस्लामिया

5 सितंबर 2023

प्रेस विज्ञप्ति

जामिया में छात्रों से उगाही और वित्तीय हेराफेरी के आरोप में स्कूल शिक्षक निलंबित

जामिया मिडिल स्कूल के फिजिकल एजुकेशन टीचर श्री हारिस उल हक को सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना, तुर्की के भूकंप प्रभावित लोगों के लिए स्कूल के छात्रों से पैसे उगहाने में कथित संलिप्तत्ता के कारण सीसीएस कन्डक्ट रूल्स के उल्लंघन में जामिया मिलिया इस्लामिया के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच जारी रहने तक निलंबित कर दिया गया है।

विश्वविद्यालय द्वारा जामिया नगर पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और हेराफेरी के लिए हारिस उल हक के खिलाफ 31 जुलाई 2023 को एक पुलिस शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि हारिस उल हक ने रुपयों की हेराफेरी की है| तुर्की में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के लिए गलत बयानी कर पैसे जुटाने की आड़ में 1.40 लाख रु. उगाहे गए, यह भी आरोप लगाया गया कि छात्रों को धोखा देकर पैसा इकट्ठा किया गया और पूरा पैसा निजी फायदे के लिए निकाल लिया गया।

यह मामला 04 अगस्त, 2023 को आयोजित बैठक में विश्वविद्यालय की ईसी के समक्ष रखा गया था। ईसी ने संकल्प संख्या 11 के माध्यम से निर्णय लिया कि हारिस उल हक के खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है। ईसी ने विश्वविद्यालय से धन की वसूली के लिए उचित कार्रवाई करने और कानून के प्रावधानों के अनुसार आपराधिक शिकायत दर्ज करने को भी कहा।

यह भी बताना होगा कि हारिस उल हक के खिलाफ दुर्व्यवहार, कर्तव्य के प्रति लापरवाह रवैया और अवज्ञा की कई शिकायतें मिली हैं। साल 2010 में भी उन्हें कदाचार के आरोप में निलंबित किया गया था|

जनसंपर्क कार्यालय
जामिया मिल्लिया इस्लामिया